–:प्रेस विज्ञप्तिः–

जनपद–हरिद्वार के समस्त कृषको/कृषक समूहों को सूचित किया जाता हैं, कि जनपद में समस्त कृषि यन्त्रो एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर आदि हेतु पंजीकरण (Registraition) की प्रक्रिया भारत सरकार के DBT Portal https//agrimachiery.nic.in पर प्रारम्भ हो चुकी हैं। कृषि यन्त्रों पर अनुदान पात्र कृषकों को ही उपलब्ध कराया जायेगा। यन्त्र क्रय करने से पूर्व कृषक पात्रता की पुष्टि स्वयं कर लेवें। पात्रता सम्बन्धी अधिक जानकारी के लिए अपने न्याय पंचायत प्रभारी/विकासखण्ड प्रभारी/कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी/मुख्य कृषि अधिकारी से सम्पर्क करें। अपात्र कृषकों को यन्त्र क्रय कर लिये जाने के उपरान्त भी अनुदान उपलब्ध नही कराया जायेगा। अतः इच्छुक कृषक/कृषक समूहों/स्थानीय स्वयं सहायता समूह/ग्रामीण उद्यमी/कृषक उत्पाद समूह/ग्राम सेवा सहकारी समितियां आदि निम्नानुसार कृषि यन्त्र/कस्टम हायरिंग सेन्टर हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन कर सकते हैं।

कृषि यन्त्रों पर अनुदान प्राप्त करने हेतु DBT Portal पर पंजीकरण करने की प्रक्रियाः–

1:–सर्वप्रथम कृषक यन्त्र के आवेदन हेतु **https//agrimachiery.nic.in** पर पंजीकरण करना होगा।

2:–पोर्टल पर Registraition पर क्लिक करने के बाद Drop down list पर Farmer पर क्लिक करें।

3:–कृषक बन्धु अपने आधार नम्बर या मोबाइल नम्बर या नाम के द्वारा (आधार कार्ड के अनुसार नाम) वाछिंत सूचनाऐं भरने के उपरान्त लॉगिन आई॰डी॰ एवं पासवार्ड प्राप्त करें।

4:–जनरेटेड लॉगिन आई॰डी॰ एवं पासवार्ड के द्वारा कृषक पोर्टल पर साइन इन करने के बाद किसान (Add Farmer details)पर स्कैन्ड प्रतिया या जे.पी.ई.जी. या पी.डी.एफ. (Scenned/JPEP/png. Max. size 100 KB) के माध्यम से अपना वांछित विवरण अपलोड़ करें (कृषक का आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, मालगुजारी रसीद (Current Land tax recipt) खतौनी, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ, मोबाइल नम्बर, जाति प्रमाण पत्र आदि।

5:–प्रोफाइल में कृषक यन्त्र के आवेदन के लिये add/view application पर क्लिक करने के उपरान्त New Registraition पर अपना वाछिंत व्यक्तिगत यन्त्र या कस्टम हायरिंग सेन्टर (Application for CHC) का प्रस्ताव जमा कर सकते हैं।यन्त्रों के लिये विकासखण्डवार लक्ष्यों व डीलरों की सूची पोर्टल पर प्रदर्शित होगी।

6:–उक्त प्रक्रिया के 07 दिनो के भीतर कृषक को पंजीकृत डीलर का चयन करना होगा अन्यथा/देरी की स्थिति में आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा तथा आवेदन खारिज/निरस्त होने के उपरान्त कृषक उसी यन्त्र के लिये 02 माह के अन्तराल तक कोई आवेदन नही कर पायेगा।

7:–एक बार डीलर के चयन हो जाने पर उसे बदला नही जा सकता है।

8:–कृषको का आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने की जानकारी पंजीकृत मोबाईल न0–पर SMS के द्वारा आवेदन संख्या एवं पिन नम्बर कृषको को प्राप्त होगा। निर्धारित अवधि के भीतर कृषक द्वारा यदि चयनित कृषि यंत्र चयनित डिलर से क्रय नही किया जाता है तो कृषक का आवेदन खारिज/निरस्त हो जायेगा।

9:–डीलरो के द्वारा कृषको के समस्त प्रपत्र तथा बिल की एक प्रति पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। बिल के उपर कृषि यत्रं का मेक मार्डल एवं सीरीयल न0–अकिंत करना होगा।

10:–कृषको को अनुदान का लाभ तभी प्राप्त होगा जब वह अनुदान प्रात्रता के समस्त बिन्दुओ को पूर्ण करता हो।

11:–विनिर्माता फर्म द्वारा सम्बन्धित डीलर के बिल के सत्यापन के उपरान्त कृषि यन्त्रो का भैतिक सत्यापन कृषि विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा किया जायेगा।

12:–कृषि यत्रों के स्थलीय भौतिक सत्यापन के समय कृषि यन्त्र के क्रय बिल के अनुरूप पूर्ण स्पेसिफिकेशन के अनुसार यन्त्र पाये जाने पर ही कृषि विभाग द्वारा प्रदत्त अनुदान का पात्र होगा।

13:–कृषको की प्रतिक्षा सूची केवल चालू वित्तीय वर्ष तक के अन्त तक ही वैद्य होगी (01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक)।

14:–विकासखण्डवार लक्ष्यो को भारत सरकार के पोर्टल **https//agrimachiery.nic.in** पर दिनाक 09.08.2021 को प्रातः 11:00 बजे से अपलोड किया जायेगा।

15:–कस्टम हायरिंग सेन्टर/फार्म मशीनरी बैंक हेतु आनलाईन आवेदन करने के लिए समूह/समिति/एफ0पी0ओ0 आदि का पंजीकरण होना आवश्यक है। कस्टम हायरिंग सेन्टर के आनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रो को अनुमोदन करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि जिस ग्राम पंचायत/क्षेत्र से आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। उस क्षेत्र में पूर्व में कितने कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित हो चुके है। साथ ही जिन न्याय पंचायतो में अभी तक कस्टम हायरिंग सेन्टर/फार्म मशीनरी बैंक स्थापित नही हुए है उन न्याय पंचायतो के आनलाईन आवेदनो को वारीयता देते हुए जनपद स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया जायेगा।

16:–योजना में लाभार्थियों का चयन **"पहले आओ पहले पाओ"** के सिद्वान्त पर अधारित है।

17:–कृषक/कृषक समूह द्वारा अनुदान पर क्रय किये गये यंत्रो को 05 वर्षो तक नही बेचा जायेगा इसका शपथ पत्र भी कृषक/समूह से लिया जायेगा।

मुख्य कृषि अधिकारी,
हरिद्वार।

कार्यालयः–मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार।

पत्राँकः– 523/मु.कृ.अ./यंत्री./विज्ञापन/2021–22/दिनाँक– 29, जुलाई, 2021

प्रतिलिपिः–1:–संवाददाता दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि अपने दैनिक समाचार पत्र में दिनाँक 30.07.2021 के अंक में न्यूनतम स्पेश में श्वेत श्याम रंग में प्रकाशित कराते हुये, बिल सत्यापित कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करें ।

2–समस्त कार्यालयाध्यक्ष विकास भवन, रोशनाबाद हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा करने का कष्ट करें।

3–प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापन को एन0आई0सी0, हरिद्वार पर अपलोड करने का कष्ट करें।

4–जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार महोदय को सूचनार्थ।

मुख्य कृषि अधिकारी,
हरिद्वार।